भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 435372

बैनामा

बिक्री – 2,77,420/-
मालियत – [illegible]/-
देय स्टाम्प – [illegible]/-

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना व तहसील – मोहनलालगंज
3. स्थित ग्राम – [illegible]

31-5-21

सचिव ग्राम पंचा. ...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 415373

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. सम्पत्ति का विवरण : खसरा नं0 166/2 व 165/2 व 166/2 कुल रकबा 0.1120 अनुसार सम्पत्ति नं0 165, 164/3, 165/2, 167/2 कुल रकबा 0.1210 हेक्टेयर।

5. मापन की इकाई : हेक्टेयर।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [redacted]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 415374

6. संपत्ति का क्षेत्रफल	:	कुल [illegible]
7. सड़क की स्थिति	:	सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200मी0 से अधिक दूरी पर
8. प्रतिफल की धनराशि	:	2[illegible]000/-
9. पेड़ों की संख्या	:	कोई नहीं है।
10. बोरिंग / नलकूप	:	बोरिंग / नलकूप नहीं है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 415370

4

चौहद्दी खसरा नं० 185/2 व 185/3

पूरब	—	खसरा नं० 183
पश्चिम	—	खसरा नं० 186
उत्तर	—	खसरा नं० 184
दक्षिण	—	खसरा नं० 172

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 415373

चौहद्दी खसरा नं0 168/2

पूरब	—	खसरा नं0 165
पश्चिम	—	खसरा नं0 173
उत्तर		खसरा नं0 167 व 164
दक्षिण		खसरा नं0 175

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

B 345916

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

प्रथम पक्ष की संख्या - 01
विक्रेता का विवरण
[illegible]
पुत्र [illegible]
निवासीगण [illegible]
[illegible]
जिला [illegible]

[illegible]

द्वितीय पक्ष की संख्या - 01
क्रेता का विवरण
[illegible]
पुत्र - [illegible]
निवासी - [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय–पत्र

मनाकि विक्रेता राम शंकर पुत्र दयाराम निवासी ग्रा0 [illegible] [illegible] कुर्सी [illegible] मोहन रोड [illegible] जिला– लखनऊ का [illegible] मेरी आराजी खसरा नं0 165/2 व 165/3 व 166/2 कुल रकबा 0.1750 [illegible] नं0 162, 164/1, 166/1, 167/2 कुल रकबा 0.1748 कुल विक्रीत रकबा 0.1750 स्थित ग्राम [illegible] परगना व तहसील – मोहन रोड [illegible] जिला लखनऊ का मालिक काबिज व दाखिल है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 345[illegible]9

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 245571

२

विक्रीत भूमि सड़क से [illegible] दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि राजमार्ग, रेलवेलाइन, व नहर के किनारे स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि कोई सिंचित ग्राम में उर्वरक कृषि योग्य भूमि है। जो कृषि उपयोग हेतु क्रय की जा रही है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भार, [illegible], [illegible], बन्धक, इकरार, कुर्की, [illegible] डिक्री आदि से पाकसाफ है। विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है विक्रेता को प्राप्त है। चूँकि हम लोगों को रुपयों की आवश्यकता है। अतः अपनी रजामन्दी से बिला जोर दबाव [illegible] के बकायदा होश हवास में उपरोक्त अपनी भूमि व मिल्कियत का [illegible] मूल्य रूपये [illegible]/- ([illegible]) जिसके आधे [illegible]/- होते है। बदस्त मुकेश पुत्र बिन्दा निवासी मैंजापुर बिहारी पोस्ट [illegible] जिला [illegible] को विक्रय कर दिया है। और कब्जा व दखल मालिकाना आज की तारीख से करा दिया अब [illegible] विक्रीत भूमि में कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा क्रेता उक्त भूमि को [illegible] में अपना नाम दर्ज करा लेवे।

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY LKO
25 MAY 2017

10

हमारे पुत्रों या मेरे वारिसान की कोई दखल न है और न ऐसी कोशिश ही होगा । और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या [illegible] ई भी विक्रेता के कुल [illegible] क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी प्रकार निकल या कब्जा न मिले, मिल्कियत व दाखिल खारिज की करवाई न हो या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के [illegible] विवादित अथवा भार ग्रसित [illegible] तो ऐसी दशा में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रुपया मय हर्जा–खर्चा व नुकसान सहित मुझसे व मेरे वारिसान के व कायम मुकामान की चल एवं अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवें जिसमें को कोई उज्र एवं न होगा। आज भूमि कब्जा की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराके अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, लिंकमार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि ग्राम [illegible] पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़, कुआँ या अन्य आदि नहीं है। इस भूमि पर दुकान/मकान नहीं है। विक्रीत भूमि [illegible] जो कि अभी [illegible] में आता है।

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रीत भूमि का कुल रकबा 0.117 हे० है, जोकि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी निर्धारित सर्किल रेट के मुताबिक मूल्य रु० 450000/-प्रति हे० की दर से निर्धारित है। के हिसाब से विक्रीत भूमि की कुल मालियत 52,650 है। विक्रय मूल्य मालियत से अधिक है। अतः विक्रय मूल्य पर नियमानुसार 10 प्रतिशत की दर से रू० [illegible]/- का जनरल स्टाम्प अदा किये जा रहे हैं। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई अग्रिम धन का लेनदेन नहीं किया गया है तथा भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी पता अभिलेखानुसार है। विक्रीत भूमि [illegible] आवास विकास परिषद की किसी भी योजना में अधिसूचित नहीं की गई है

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 148306

12

लिहाजा यह बैनामा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सनद रहे और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मैं अपने हस्ताक्षर [illegible] [illegible] [illegible] निशान दिया।

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

145908

29 NOV 2007

3

विवरण भूमि विक्रीशुदा

आराजी खसरा नं0 165/2 व 166/3 व 168/2 कुल रकबा 0.1780 तदनुसार प्रस्तावित नं0 163, 164/3, 165/3, 167/2 कुल रकबा 0.121080 कुल विक्रीत रकबा 0.1780 स्थित ग्राम [illegible] कला परगना व तहसील मोहन लाल गंज जनपद लखनऊ।

तफसील वसूलयाबी जरसमन

कुल विक्रय मूल्य 2,75,400/- (रू0 [illegible]) क्रेता/विक्रेता ने क्रेता से चैक सं0 [illegible] दिनांकित 31/05/07 [illegible] द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धन राशि विक्रेता [illegible] की क्रेता से पाना शेष नहीं है।

लखनऊ

दिनांक : 31.05.2007

ह0 विक्रेता

विक्रेता की पहचान के लिए

गवाह नं0 1

[illegible]

क्रेता की पहचान के लिए

गवाह नं0 2 [illegible]

ह0 क्रेता

प्रालेखक

([illegible])

(सतीश सिंह)

[illegible] कलेक्टरेट, लखनऊ

(श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव)

प्रबन्धक

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 - ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

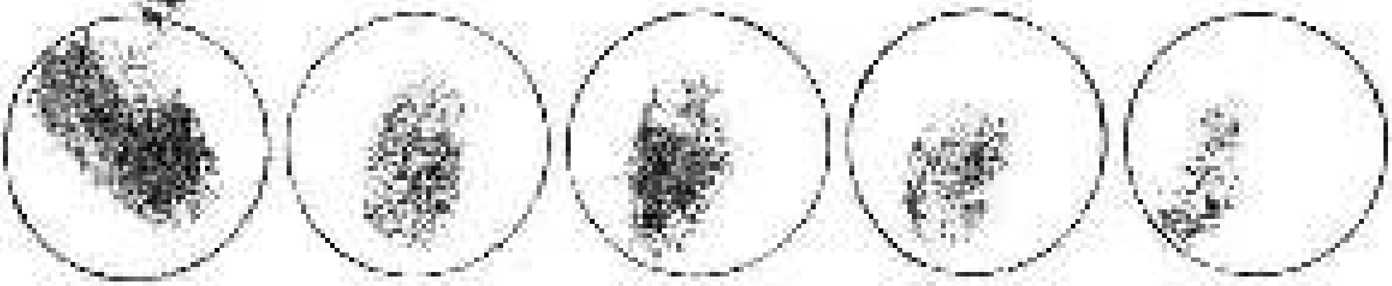

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

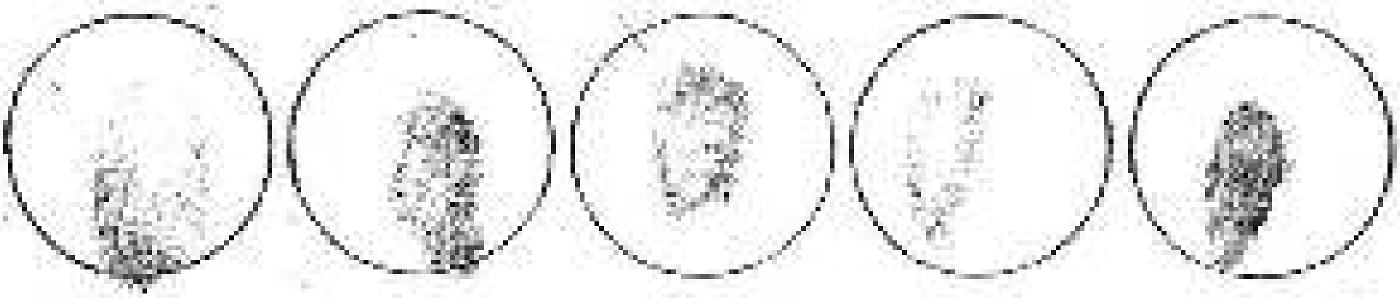

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

অদ্য তারিখে [illegible] এর [illegible] নং দলিল
পুস্তকের খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] হইতে
পৃষ্ঠা [illegible] পর্যন্ত এর পৃষ্ঠায় [illegible]
রেজিস্টার [illegible]

সাব রেজিস্ট্রার
[illegible]